न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग

प्रकरण संख्याः–108/2019(जी.सी.एम.एस.नम्बर 2019/00027) पीठासीन अधिकारीः– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

चन्द्रपाल पुत्र भग्गी जाति जाट निवासी ग्राम बंधाचौथ तहसील डीग जिला डीग(राज0)

–वादी

बनाम

सुगना पुत्र भजना जाति जाटव निवासी अभिशेकपुरी कॉलोनी समोला टीला के पास सोंख रोड मण्डी चौराहा (मथुरा) उ.प्र.

–प्रति0

दावा कायमी काश्त खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट,

निर्णय **दिनांकः 26.11.2024**

वादी द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बर 248/0.34, वाके ग्राम बंधा खालसा तहसील डीग में स्थित है। हाल आराजी खसरा नम्बर 248/0.34 को दौराने भू–प्रबंध विभाग द्वारा गत खसरा नम्बर 708/1–17, 709 मिन/0–12 से बनना दर्शाया गया है।गत आराजी खसरा नम्बर 708/1–17 जोकि वादी के पिता भग्गी पुत्र रामप्रसाद के कब्जे काश्त खातेदारी की रही है। वादी के पिता भग्गी की मृत्यु होने के पश्चात जिस पर वादी वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। विवादित आ.ख.नम्बर 248/0.34 को दौराने भू–प्रबंध विभाग द्वारा साविक आ.ख.नम्बर 708/1–17 व 709मिन/0.12 से बनना दर्शाया गया है। साविक आराजी खसरा नम्बर 708/1–17 जोकि वादी की खातेदारी का रहा है। जिसका रकबा नई नाप में 0.30 हैक्टेयर होता है। इस प्रकार से विवादित आराजी खसरा नम्बर 248/0.34 में वादी का सम्पूर्ण हिस्सा 30/34 शामिल हुआ है,लेकिन भू–प्रबंध विभाग ने वादी को विवादित आराजी खसरा नम्बर 248/0.34 में हिस्सा 2/3 का तथा प्रति0 को हिस्सा 1/3 का गलत तौर पर दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रति0 के साविक आराजी खसरा नम्बर 709/0–12 का रकबा हाल आराजी खसरा नम्बर 190/586/0.27 में हिस्सा 17/43 यानि 0.10/1/2 हैक्टेयर रकबा आया है। साविक आराजी खसरा नम्बर 709 जोकि 0–27 विस्वा का था जिसको भू–प्रबंध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 248/0.34, 190/586/0.27, 213/0.23 में शामिल होना दर्शाया है। उक्त साविक खसरा नम्बर 709 में प्रति0 सुगना रकबा 0–12 विस्वा तथा हुक्मी पुत्र नत्थी रकबा 0–15 विस्वा के काश्तकार दर्ज रहे है। उक्त 0.27 विस्वा का नई माप में रकबा 0.21 हैक्टेयर होता है जिसका रकबा 0.17 हैक्टेयर रकबा हाल खसरा नम्बर 190/586/0.27 में शामिल हुआ है तथा उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रति0 का हिस्सा 17/43 यानि 0.10/1/2 हैक्टेयर तथा हुक्मी पुत्र नत्थी को हिस्सा 10/43 यानि 0.06 हैक्टेयर व लालाराम पुत्र रामसिंह को/. हिस्सा 16/43 यानि 10 हैक्टेयर का खातेदार दर्ज किया हुआ है। इस प्रकार से विवादित आराजी खसरा नम्बर 248/0.34 में साविक खसरा नम्बर 709 का रकबा 0.04 हैक्टेयर से अधिक शामिल नहीं हुआ है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम बंधा खालसा तहसील डीग स्थित आराजी खसरा नम्बर 248/0.34 के हिस्सा 30/34 पर वादी वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 248/0.34के

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

0.27 मे हिस्सा 17/43 यानि 0.10 1/2 रकबा आया है इस प्रकार से भूप्रबन्ध विभाग

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज कलमजन होकर वादी को हिस्सा 30/34 का खातेदार काश्तकार व प्रति0 को हिस्सा 4/34 का दर्ज फरमाया जावे। साथ ही प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 को जरिये रजिस्टर्ड डांक तलबी सम्मन भेजा गया। बाबजूद सूचना व तामील के उपस्थित अदालत नहीं होने से दिनांक 22.3.2021 को प्रति0 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 26.04.2024 को वादी के द्वारा साक्ष्य वादी में पी—डब्ल्यू—1, व पी—डब्ल्यू—2, चन्द्रपाल व हरिओम के बयान दर्ज कराये गये।तद्परांत प्रकरण को बहस में नियत किया गया।

प्रति0 की ओर से कोई भी उपस्थित नही होने व प्रति0 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के कारण वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी के द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 248/0.34 में साविक खसरा नम्बर 709 का रकबा 0.04 हैक्टेयर से अधिक शामिल नहीं हुआ है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम बंधा खालसा तहसील डीग स्थित आराजी खसरा नम्बर 248/0.34 के हिस्सा 30/34 पर वादी वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 248/0.34के राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज कलमजन होकर वादी को हिस्सा 30/34 का खातेदार काश्तकार व प्रति0 को हिस्सा 4/34 का दर्ज फरमाया जावे। साथ ही प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन व वकील वादी के द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। वकील वादी के द्वारा दावे के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत 2072—75 प्रदर्श—1, जमाबन्दी सम्बत 2027—30 प्रदर्श—2, जमाबन्दी सम्बत 2031—34 प्रदर्श—3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श—4, नक्सा अक्स हाल प्रदर्श—5,नक्सा साविक प्रदर्श—6, पेश किये गये।

प्रदर्श—1, जमाबन्दी सम्बत 2072—75 के अनुसार खसरा नम्बर 248 रकबा 0.34 हैक्टेयर चन्द्रपाल पुत्र भग्गी कॉम फौजदार सा0 बंधाचौथ 2/3 हिस्सा खातेदार सुगना पुत्र भजना जाटव सा0 बंधाचौथ 1/3 हिस्सा गैर खातेदार रहिन हि0चन्द्रपाल सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डीग मुर्तहिन दर्ज रिकार्ड है।वर्तमान जमाबन्दी के रकबे के हिस्से अनुसार चन्द्रपाल का हिस्सा 22.66 ऐयर व सुगना का हिस्सा 11.33 ऐयर बनता है। प्रदर्श—4,मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 के अनुसार खसरा नम्बर 248 रकबा 0.34 ऐयर साविक खसरा नम्बर 708 रकबा 1बीघा 17 विस्वा, 709 मिन रकबा 12 विस्वा से बना है। गत खसरा नम्बर 708 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा का रकबा मैट्रिक प्रणाली में 29.6 ऐयर व 709 रकबा 0.12 विस्वा का रकबा 9.6 ऐयर बनता है,अर्थात ख0नम्बर 248के साविक नम्बरों 708 व 709 का कुल रकबा 39.2 ऐयर बनता है। जबकि वर्तमान खसरा नम्बर 248 का रकबा 34 ऐयर है। वादी का कथन है कि हाल खसरा नम्बर 248 रकबा 0.34 हैक्टेयर में साविक खसरा नम्बर 708 रकबा 1 वीघा 17 विस्वा जो वादी की खातेदारी में रहा है। जमाबन्दी सम्बत 2027 में प्रदर्श—2, के अनुसार खसरा नम्बर 708 रकबा 1 वीघा 17 विस्वा उसके पिता भग्गी पुत्र रामप्रसाद की खातेदारी में था जिसका सम्पूर्ण रकबा वर्तमान खसरा नम्बर 248 में मिलान क्षेत्रफल के अनुसार शामिल हुआ है। जिसका मैट्रिक प्रणाली में 29.6 ऐयर बनता है। जबकि हाल हिस्से के अनुसार उकसा रकबा 22.66 ऐयर ही है रकबा,खसरा नम्बर 248 में 34 ऐयर में से 30 ऐयर दर्ज कराये जाने के अधिकारी है व प्रति0 के हिस्सा 4 ऐयर दिया जावे। वादी का कथन है कि प्रति0 के साविक खसरा नम्बर 709 रकबा 0.12 विस्वा हाल आराजी खसरा नम्बर 190/586 रकबा 0.27 के हिस्सा 17/43 यानि 0.10/1/2 हैक्टेयर रकबा आया है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

भू–प्रबंध विभाग ने खसरा नम्बर 709 रकबा 27 विस्वा को मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 248 रकबा 0.34, 190/586 रकबा 0.27, 213 रकबा 0.23 में शामिल होना दर्शाया है। उक्त साविक खसरा नम्बर 709 में प्रति0 सुगना का रकबा 12 विस्वा तथा हुकमी पुत्र नत्थी का रकबा 0.15 विस्वा है। इस प्रकार उक्त 0.27 विस्वा का नई माफ में रकबा 0.21 हैक्टेयर होता है। जिसका रकबा 0.17 हैक्टेयर रकबा हाल खसरा नम्बर 190/586 रकबा 0.27 में शामिल हुआ है। आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रति0 का हिस्सा 17/43 यानि 0.10/1/2 हैक्टेयर तथा हुकमी पुत्र नत्थी का हिस्सा 10/43 यानि 0.06 हैक्टेयर व लालाराम का हिस्सा 16/43 यानि 10 हैक्टेयर दर्ज किया हुआ है। खसरा नम्बर 248 रकबा 0.34 में साविक खसरा नम्बर 709 का रकबा 0.04 हैक्टेयर से अधिक शामिल नहीं हुआ है। हमने मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 का अवलोकन किया। खसरा नम्बर 709 का रकबा 12 विस्वा खसरा नम्बर 248 में खसरा नम्बर 709 रकबा 1 वीघा 7 विस्वा हाल खसरा नम्बर 190/586 में शामिल हुआ है।

जमाबन्दी सम्बत 2031 के 2034 प्रदर्श–3, के अनुसार खसरा नम्बर 709 रकबा 12 विस्वा सुगना पुत्र भजना के नाम दर्ज रिकार्ड है। जोकि सम्पूर्ण खसरा नम्बर 248 में शामिल हुआ है। वादी का यह कथन असत्य है कि सुगना के खसरा नम्बर 709 के रकबा 12 विस्वा का सम्पूर्ण रकबा खसरा नम्बर 248 में शामिल नहीं हुआ है। मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 व जमाबन्दी सम्बत 2031 से 2034 की प्रबिष्टि मेल नहीं खाती है। खाता संख्या 142 की प्रबिष्टियों में मिलान हो रहा है। खसरा नम्बर 190/586 रकबा 0.27 विस्वा में वादी द्वारा प्रतिवादी का 0.10/1/2 हैक्टेयर मिलान खाता है। हाल खसरा नम्बर 190/586 रकबा 0.27 विस्वा गत खसरा नम्बर 570 रकबा 16 विस्वा 709 रकबा 1 वीघा 7 विस्वा से बना है।

खसरा नम्बर 190/586 की हाल प्रबिष्टियां प्रदर्श–1 के अनुसार सुगना पुत्र भजना 17/43 चिरोंजा पत्नी हुक्मी 10/43 लालाराम पुत्र रामसिंह 16/43 दर्ज है। जमाबन्दी सम्बत 2031 से 2034 के खाता संख्या 244 पर खसरा नम्बर 709 रकबा 15 विस्वा हुकमी पुत्र नत्थी के नाम दर्ज है। सुगना पुत्र भजना के नाम नहीं है। यह कथन सत्य है कि नई नाप से रकबा 12 ऐयर बनता है। मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 190/586 में 709 का रकबा 1 वीघा 7 विस्वा है। जबकि जमाबन्दी सम्बत 2031 से 2034 में 709 का रकबा 15 विस्वा है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि दावा वादी प्रमाणित नहीं होने से खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि:–

वादी का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सावित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner